

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह जिला - बोकारो।

नीलाम पत्र मुकदमा सं० - 23/22-23

बैंक ऑफ इंडिया, जैनामोड

सर्टिफिकेट होल्डर

श्री अपीन तुरी

बनाम

सर्टिफिकेट डेब्टर

अनुसूची - 14 फारम सं० - 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
03.02.23	प्रबंधक सह अधिवानी पदाधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया, जैनामोड के द्वारा देनदार श्री अपीन तुरी पिता - नागेश्वर तुरी छापन पौ - बौलडाह, बाना - जरीडीह, बोकारो जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 23,367/- रुपये वसूली हेतु पी0डी0आर0 एक्ट के तहत प्रपत्र 2 में अधियाचना पत्र दाखिल किया है। साथ ही कार्ट फी 2504/- रुपया दाखिल किया है। जिसकी विवरणी निम्न है 20863 + 2504 = 23367/- अधियाचना पत्र परिपूर्ण है। बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार को धारा 7 पी0डी0आर0 एक्ट के अधीन विधीयत सूचना निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 17/02/23 को उपस्थापित करे।	अभि. न संलग्न।- (1) निम्न-1 (2) निम्न-2 (3) चेक सिस्ट (4) कोर्ट ऑफिस <i>[Signature]</i>
17.02.2023	न्यायालय उपस्थित उक्त पत्र को सुनवाई की जा रही है। तारीख 03/03/23 निर्वाह की जा रही है। <i>[Signature]</i> 03/03/2023 नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह	

03/03/2023

अभिलेख उपस्थापित।

देवदार अनुपस्थित पुनः नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 14/03/23 को उपस्थापित करें।

निवास पत्र पदाधिकारी
जरीड

14/03/23

अभिलेख उपस्थापित।

कार्यालय कार्यों में व्यस्तता रहने के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया जा सका। पुनः नोटिस निर्गत करने हुए अभिलेख दिनांक 25/03 को उपस्थापित करें।

निवास पत्र पदाधिकारी
जरीड

25/03/23

अभिलेख उपस्थापित।

कार्यालय कार्यों में व्यस्तता रहने के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया जा सका। पुनः नोटिस निर्गत करने हुए अभिलेख उपस्थापित करें।

निवास पत्र पदाधिकारी
जरीड

14/06/24

अभिलेख उपस्थापित।

कारण प्रत्येक 15/01/24 को नोटिस निर्गत करने के लिए किया गया था। नोटिस पूर्णतः पसूर होकर तब तक रखा जा रहा था कि नोटिस निर्गत नहीं हो। Certificate holder के प्रतिवेदन के आधार पर Certificate case समाप्त की जाती है।

निवास पत्र पदाधिकारी
जरीड